संख्या-18/2021/1162/77-6-2021-4(बजट)/16टीसी-1

प्रेषक,

सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त, उद्योग,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2021**

विषय- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रू. 57,44,998.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्र संख्या-10-19/आई.आई.पी.एस.-2012/Vol.II/1786 दिनांक 09-02-2021 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 180.00 करोड़ (रू0 एक सौ अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 57,44,998.00 (रू0 सतावन लाख चौवालिस हजार नौ सौ अट्ठानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। पात्र 02 इकाईयों का विवरण निम्नवत् हैं:-

क्रमांक	इकाई का नाम	धनराशि (रू. में)
1	मेसर्स गनेशा ईकोस्पीयर लि0, कानपुर देहात। (वित्तीय वर्ष 2016-17)	38,14,352.00
2	मे0 अल्फा मिल्क फूड्स प्रा0लि0, हाथरस । (वित्तीय वर्ष 2016-17)	19,30,646.00
	योग-	57,44,998.00 (रूपये सतावन लाख चौवालिस हजार नौ सौ अट्ठानवे मात्र)

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक-6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012-30-निवेश/ऋण, में प्राविधानित धनराशि रू0 180.00 करोड़(रू0 एक सौ अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपर्युक्त 02 पात्र इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण वितरण हेतु समेकित रूप से धनराशि रू. 57,44,998.00 (रू0 सतावन लाख चौवालिस हजार नौ सौ अट्ठानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह धनराशि जिस इकाई को भुगतान किया जाना है उसके बैंक खाते में ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सीधे आर.टी.जी.एस के माध्यम आहरित कर जमा की जाएगी। आहरित धनराशि पिकप के खाते में जमा नहीं की जाएगी। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक ,पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त(आय-ब्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012(यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

4- यह धनराशि ऐसी पात्र नई इकाइयों, जिनके प्रत्यावेदन पिकप में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

5- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप पर होगा। पिकप द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।

6- पिकप पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र लाभार्थी इकाईयों को अनुमन्य ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार है।

7- पिकप द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित इकाई द्वारा ऋण की अदायगी किये जाने के 02-03 कार्य दिवसों के अन्दर ही धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

8- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

9- धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उसके तत्काल उपभोग की आवश्यकता हो।

10- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किया जाएगा। पिकप को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी अपर/संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

11- पिकप द्वारा वितरित ऋणों की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जायेगी।

12- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.3.2020, 07.04.2020, 18.05.2020 व 29-09-2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

13- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिये स्वीकृत किया गया है।

14- किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।

15- प्रशासकीय विभाग धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

16- पिकप औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 के प्राविधानो के अनुसार इकाईयों की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। इस बिन्दु पर भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 के अन्तर्गत उक्त इकाईयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं एवं इस आशय की आख्या पिकप द्वारा अपर/संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध कराने के पश्चात् ही उनके द्वारा धनराशि आहरित की जाएगी।

17- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक-6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012-30-निवेश /ऋण के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-267/दस-2021 दिनांक 27-03-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-18/2021/1162(1)/77-6-2021-4(बजट)/16टीसी-1,तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबंध निदेशक, पिकप को पत्रांक-10-19/आई.आई.पी.एस.-2012/Vol.II/1786 दिनांक 09-02-2021, के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।
6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10- नियोजन अनुभाग-1/4
11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in